



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30082025-265812
CG-DL-E-30082025-265812

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3847]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 28, 2025/भाद्र 6, 1947

No. 3847]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 28, 2025/BHADRA 6, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2025

का.आ. 3952(अ).—केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का.आ. 689 (अ), दिनांक 4 अप्रैल, 2011 के माध्यम से प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः:-

उक्त अनुसूची में, क्रम सं. 506 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
506	716बी	वरदराजुलापल्ले गाँव (चित्तूर) के निकट एनई-7 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर आंध्र प्रदेश राज्य में वरथुरु, कनिकापुरम, तमिलनाडु राज्य में कुमारराजपेट, आंध्र प्रदेश राज्य में वीरा कावेरी राजा पुरम, पोंडवक्कम को जोड़ने वाला और तमिलनाडु राज्य में कन्निरैपेयर के पास रारा-716ए के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा. सं. एनएच-14012/12/2025-पीएंडएम]

शेख अमीनखान, निदेशक

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची को, दिनांक 4 अप्रैल, 2011 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांक 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और तत्पश्चात उसे पिछली बार का.आ.-3828(अ), दिनांक 20 अगस्त, 2025 की अधिसूचना द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2025

S.O. 3952(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) vide number S.O. 689(E) dated the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 506 and entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

Table

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
506	716B	The highway starting from its junction with NE-7 near Varadarajulapalle Village (Chittoor) connecting Varathuru, Kanikapuram in the State of Andhra Pradesh, Kumarajapet in the State of Tamil Nadu, Veera Kaveri Raja Puram in the State of Andhra Pradesh, Pondavakkam and terminating at its junction with NH-716A near Kannigaipair in the state of Tamil Nadu.

[F. No. NH-14012/12/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Footnote:-The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notification number S.O. 3828, dated 20th August, 2025